न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 97/2023

उनवान

जाहवी पुत्री एरिक्शन ना.बा. नि0 आशापुरा, नसीराबाद, जरियें प्राकृतिक संरक्षक धर्म का भाई मुकेश पुत्र मार्टिन नि0 आशापुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. मीखाऐल पुत्र न्युटन उर्फ जोसेफ मिखाऐल न्यूटन जाति ईसाई नि0 ग्राम आशापुरा नसीराबाद, हाल नि0 आई0टी0आई0 के पास अर्श विधालय के पीछे जाफराबाद पंचमहल गुजरात,
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री तारीक सुहैल
2 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: आदेश :–

दिनांक :– 3.8.24

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आशापुरा में प्रार्थीया की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
57/39	447	0.38
	448	0.38
	450	0.25

उपोक्त आराजी प्रार्थीया के दादा जॉनसन पुत्र जोजफ उर्फ जोसेफ उमा के नाम वर्षो से अंकित चली आ रही है। जॉनसन के 4 विधिक वारिस क्रमशः **सरोफिना पत्नी जरीना**, पुत्री सोरीना पुत्री बेला पुत्री थी, जिसमें से सरोफिना की मृत्यु हो गयी है। सोंरिना व बेला अविवाहित फौत हो चुकी है। जरीना किशनगढ में नर्स के पद पर कार्यरत थी तथा तत्समय जरीना के औलाद नही होने के कारण प्रार्थीया को दत्तक पुत्री के रूप में जरियें पंजीकृत गोदनामा गोद लिया गया। किन्तु अप्रार्थीगण बिना किसी हक व अधिकार के उक्त भूमि के वारिसान को अविवाहित फौत बताते हुये जा[illegible] समस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य सहखातेदारों ने अपने नाम क[illegible] परित्याग अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 16.05.23 को अपने नाम करवा लिया[illegible] अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का फायदा उठाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के [illegible] काश्त में दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने [illegible] आमादा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता की पुश्तैनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:24 IST
Reason: SelfAttested

स्वामित्व की है जिस पर उसका कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर पेश किया है। प्रार्थी को वाद लाने का अधिकार नही है। प्रार्थीया के संरक्षक बडा भाई मुकेश का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नही है। मुकेश द्वारा संरक्षक का कोई प्रमाण पेश नही किया है। प्रार्थीया का संरक्षक से कोई रक्त सबंध नही है। जवाबकर्ता की बुआ ने कभी भी विवाह नही किया है, ऐसे में प्रार्थीया को गोद लेने का प्रश्न ही नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा संवत 2070 से 2073 में जॉनसन पुत्र जोजफ के नाम खातेदारी दर्ज थी। जॉनसन की विरासत नामान्तकरण से जरीना, बेला जोनसन पुत्रीया जॉनसन के नाम दर्ज हुयी। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्य खातेदार से उक्त आराजी का हक त्याग अपने पक्ष में करा लिया है। प्रार्थी का कथन है कि भूमि के खातेदार जरीना पत्नी एरिक्शन द्वारा उसे जरियें पंजीकृत गोदनामा दिनांक 15.07.10 को गोद लिया था। प्रार्थी का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर गोदनामें के अनुसार उसका हक व अधिकार निहित है। उक्त दस्तावेज पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। अप्रार्थी का कथन है कि जरीना द्वारा प्रार्थी को गोद नही लिया गया तथ जरीना अविवाहित फौत हो गयी है। किन्तु उक्त तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही सिद्व होगे। अप्रार्थी संख्या 1 का यह भी कथन है कि प्रार्थी के संरक्षक का प्रार्थी से कोई रक्त सबंध नही होने के कारण वाद व प्रार्थना पपत्र लाने का कोई अधिकार नही है। किन्तु प्रार्थी पूर्व में केन्द्रिय कारागृह में होने के कारण जरियें संरक्षक प्रकरण पेश किया गया था। वर्तमान में प्रार्थी बालिकग हो चुकी है तथा उसके द्वारा जरियें अधिवक्ता पैरवी की जा रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा जरीना व उसकी बहिन की खातेदार की थी। अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी स्वयं के नाम करा ली गयी है। प्रार्थी द्वारा जरीना का पंजीकृत गोदनामा पेश किया गया है जिससे उक्त आराजी पर उसका हक व अधिकार प्रथम दृष्टया निहित है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी की दत्तक माता जरीना व उसकी बहिन की खातेदारी में थी। वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी का अन्यत्र हस्तांतरण किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना अपूरणीय क्षति की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायालय में आदेश जारी करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा का संरक्षण आवश्यक है। शेष तथ्यों का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:24 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आदेश :– अतः ग्राम आशापुरा के हाल खसरा नम्बर 447 रकबा 0.06, 448 रकबा 0.31 व 450 रकबा 0.13 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का हसतांतरण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:24 IST
Reason: SelfAttested